सेवा में,

चेयरमैन,

ट्राई,

दूरसंचार भवन, नई दिल्ली–2

विषयः (प्रसारकों से प्लेटफार्म आपरेटरों पर टीवी चैनल के वितरण पर जारी परामर्श पत्र)

महोदय,

सबसे पहले मै आपको इस एतिहासिक परामर्श पत्र निकालने के लिए बधाई देता है। ट्राई द्वारा उठाये गये मुद्दों से हम सहमत है क्योंकि यह वक्त की जरूरत है। इसके अमल में आने से उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

हालांकि मेरा मानना है कि निम्न मुद्दों पर ट्राई सरकार को अपनी अनुशंसा दे सकते हैं–

1. कोई भी प्रसारक दूसरे प्रसारक के लिए अधिकृत डिस्ट्रीब्युशन एजेंट नहीं बन सके।
2. कोई भी डिस्ट्रीब्युशन प्लेटफार्म आपरेटर (डीटीएच, एमएसओ, एलसीओ एवं डिस्ट्रीब्युशन प्लेटफार्म का एजेंट), किसी प्रसारक का अधिकृत डिस्ट्रीब्युशन एजेंट नहीं हो।
3. प्रसारक द्वारा नियुक्त किये गये डिस्ट्रीब्युशन एजेंट की कंपनी में किसी प्रसारक या डिस्ट्रीब्युशन प्लेटफार्म जैसे डीटीएच, एमएसओ एवं एलसीओ का कोई स्टेक ना हो।
4. आपके परामर्श पत्र का प्वाईंट नं. 15 को आप अपने अनुशंसा में अक्षरशः शामिल कर सरकार के पास भेजें और इसे लागू करें।
5. प्रसारकों के लिए जरूरी है कि उनके चैनलों की संख्या पर रोक लगाया जाए। इसके लिए अपलिकिंग एवं डाउनलिकिंग के नियमों में संशोधन किया जाए वरना देशभर में अधिग्रहण एवं विलय की प्रक्रिया जोर पकड़ लेगी। इससे जहां एकाधिकार का खतरा बढ़ जाएगा वहीं प्रसारक ही चैनल वितरक का स्थान ले लेंगे।

धन्यवाद

आपका विश्वासी,